[illegible] बैंक प्रकरण संख्या 22/2020(GCMS : 2020/00068) **पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर** जरिये श्री जसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर **बनाम** **1. मैसर्स गुरूनानक कैटर्स जरिये** प्रो.श्री मनमोहन चावला पुत्र श्री सुखपाल निवासी वार्ड नं 12/34, गणेश मंदिर रोड, [illegible] जिला श्रीगंगानगर 2. **निर्मला पत्नी श्री मनमोहन चवला** वार्ड नं 12/34, [illegible] मंदिर रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता की पर्चा पैरवी पर श्री मंगतराम, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण **मैसर्स गुरूनानक कैटर्स प्रो. श्री** मनमोहन चावला एवं निर्मला पत्नी श्री मनमोहन चावला द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण मनमोहन चावला एवं निर्मला द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 12 (पुराना), वार्ड न. 34 (नया), पट्टा नं. 153 (क्षेत्रफल 20′ गंणा 49′6″ वर्गफीट), गणेश मंदिर रोड़, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** [illegible] इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

मैने उक्त तर्कों पर मनन [illegible] एवं पत्रावली का [illegible] किया तो पाया कि दिनांक 10.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के

द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण **मैसर्स गुरूनानक कैटर्स प्रो.** श्री मनमोहन चावला एवं निर्मला पत्नी श्री मनमोहन चावला के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण मनमोहन चावला एवं निर्मला द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 12 (पुराना), वार्ड न. 34 (नया), पट्टा नं. 153 (क्षेत्रफल 20' गंणा 49'6'' वर्गफीट), गणेश मंदिर रोड़, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पूर्व में पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
सिविल मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर